

## प्रपत्र-2.1

## भाग- ॥

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान— शम्भू की चौकी से ददउ—पजिया—बनसार तुरर तक विस्तार कि ०मी०

2 से 11 तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.8536 हे० वन भूमि  
लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र —

उत्तराखण्ड

ii) जिला—

देहरादून

iii) वन प्रभाग—

चक्राता वन प्रभाग

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन

1.8536 है०

भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

v) वन की कानूनी स्थिति *नियम सुन तोप्रभा० अ०*vi) हरियाली का घनत्व *०.२०५*

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि

उक्त मोटर मार्ग निर्माण मे चक्राता वन प्रभाग के  
अन्तर्गत कुल बाधित वृक्षों की सं० 500 है। जो प्रस्ताव  
के साथ सँलग्न है।श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की  
जाए)। सिंचाइ/ जलीय परियोजनाओं के  
सम्बन्ध में एफ०आर०एल० – ८ मी० पर  
परिणाम भी संलग्न किए जाएviii) भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन  
शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।*संलग्न ४**प्रक्रिया*ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की  
वन की सीमा से अनुमानित दूरीx) क्या कार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य  
जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर  
आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और  
प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित  
की जाए)*नहीं*xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ  
/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं  
यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।*नहीं*xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/  
रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक  
क्षेत्र में स्थित है, यदि हों तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा  
संक्षेप प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ  
यदि अपेक्षित हो, या*इस प्रमाणित करने की जरूरत है।*४— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 मे प्रस्तावित  
वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य  
और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों  
के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।*नहीं*५— क्या अधिनियम के उल्लंघन मे कोई कार्य किया गया  
है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी  
अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का  
ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह  
रहे हैं।

## 10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या,

24 (c) 9

.....2.....

प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुरूपी लागत ढाया आदि।

1 1921-22 6

$$481,936 \div 4$$

- iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः  
उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपय) 8 और 9 मे पूछे गये  
तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग / जिला प्रोफाइल  
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

- i. जिला का वन क्षेत्र।
  - ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
  - iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
    - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
    - (ख) वनेत्तर भूमि पर

3088 व लिखी  
२११६.७।४-लिखी

673.62  $\frac{2}{2}$

678

तक प्रतिपुरक वनीकरण

में हुयी प्रगति

- (क) वन भूमि पर  
(ख) वनेत्तर भूमि पर

(१३) प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने का निर्णय ले स्थानीय भागीदारों के सम्बन्ध में उपर वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। आलमान पोटवह इवं इन्हीं का दूषित उपर्युक्तों स्थानीय भागीदारों द्वारा उक्त मार्क निर्णय की समाप्ति की जाती है।

दिनांक १-३ - ३०।५

स्थान... देशभाषा

मुख्यमंत्री द्वारा प्रभागी  
प्रधानमंत्री

हरस्तादार  
प्रसरकारी भोउर कम्पनी  
दक्षिण देश प्रभाग  
